# कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभिन्न आदेश निकाल किए पुख्ता इंतजाम

**District :** dipr
**Department :**
**VIP Person :** General
Press Release
State News
**Attached Document :**
LK-27-03-2020-14.docx (http://103.203.138.54/news/205493/document/LK-27-03-2020-14.docx)

## DESCRIPTION

**कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभिन्न आदेश निकाल किए पुख्ता इंतजाम**

जयपुर, 27 मार्च। प्रदेश में कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर व्यापक प्रयास जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कोरोना महामारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर शुक्रवार को विभिन्न आदेश जारी कर उनकी पालना तुरंत करवाने के निर्देश दिए हैं।

श्री सिंह ने जयपुर के रामगंज में महामारी के असर को देखते हुए 15 चिकित्सकों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जयपुर प्रथम को सौंपने के आदेश जारी किए है। इसी तरह एक अन्य आदेश में प्रदेश भर के निजी क्षेत्रों में उपलब्ध रिटोनाविर, लोपिनाविर कैप्सूल, टेबलेट, ओसेल्टामिविर कैप्सूल और ड्राय सीरप और हाइड्रोक्लोरोक्वीन टेबलेट को अधिगृहित करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी तरह औषधि नियंत्रक को आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में औषधि नियंत्रक को जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही मास्क एवं सेनेटाइजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्माताओं द्वारा आवश्यक उत्पादन किया जाना सुनिश्चित कराने, अन्य राज्य के औषधि नियंत्रकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, मास्क, सेनेटाइजर्स का मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित कराने और बाजार में इनकी कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने के लिए सभी सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को पाबन्द करने के आदेश दिए हैं।

एक अन्य आदेश के अनुसार वर्तमान हालात से निपटने के लिए जिलों और ईएसआई अस्पतालों में पदस्थापित दन्त चिकित्सकों की सेवाएं संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से सौंपने के आदेश जारी किए हैं। ये चिकित्सक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके जिले में

पदस्थापित दन्त चिकित्सकों को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए इनकी सेवाए लेंगे।

शुक्रवार को जारी एक अन्य आदेश में प्रदेश के सभी जिला कलक्टर्स को निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आरक्षित या चिन्हित करने के संबध में भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऎसे निजी अस्पतालों की सूची भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे 50 चिकित्सकों की सेवाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को और जोधपुर से इंटर्नशिप कर रहे चिकित्सकों की सेवाएं जालौर और पाली मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अविलंब देने के निर्देश दिए गए हैं।